राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
''वित्त *भवन'' जनपथ, जयपुर–302005*
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल :aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.3(ई)(1)(6)/एसीपी/पार्ट–II/अलेसे–II/ 3119 दिनांक :– 3-4-2024

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II

विषयः– ए.सी.पी. प्रकरणों में आक्षेपों के निस्तारण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार कमियां पायी गई है:–

क्र.सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री	मेरिट/बैच लिंक नं	आक्षेप का विवरण
1.	श्री महेश चन्द माहौर	574/1994 3001	1. आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट करें। 2. ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

उक्त तालिका में अंकित आक्षेपों का शीघ्र निस्तारण करवाकर अवगत करावें, जिससे ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. प्रकरण को स्वीकृत किया जा सके।

संलग्नः– निर्धारित प्रारूप।

(भारती शेखावत)
उपनिदेशक (कार्मिक–II/III)

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) वित्त/नियम/2008–I&II दिनांक 31.12.09 के तहत संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी शपथ पत्र

मैं ..... पद ..... कार्यालय .... एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या ..... थी:-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या ..... है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

दिनांक..
हस्ताक्षर मेरे सम्मुख किये गये

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर
नाम
पद
मैरिट संख्या
वर्तमान विभाग
दूरभाष नम्बर–

सन्तोषजनक सेवा आदि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पद ..... मैरिट संख्या ..... ने उक्त घोषणा पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है तथा सेवा पुस्तिका एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... ने कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति होने पर दिनांक .....को पूर्वान्ह/अपरान्ह मे कार्यग्रहण किया तथा इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. दिनांक .....को देय हो गया है तथा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं 31.12.2009 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुये यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. इनके विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जॉच लम्बित/प्रस्तावित नही है तथा पूर्व मे इन्हे कोई दण्ड नही दिया गया है। (यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावें)
2. सेवा पुस्तिका के अनुसार इन्हे ए.सी.पी. देय तिथि से पिछले सात वर्षो से नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही है तथा इनकी सेवायें सन्तोषजनक है।
3. इन्होंने प्रथम पदोन्नति ..... पद पर दिनांक ..... को, द्वितीय पदोन्नति ..... पद पर दिनांक ..... को, तथा तृतीय पदोन्नति ..... पद पर दिनांक ..... को मिली है।
4. इनको पदोन्नति प्रथम/द्वितीय/तृतीय ही मिली है।
5. इन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पर ..... को दिनांक ..... को फोरगो किया है।
6. इन्होंने पदोन्नति फोरगो नही की है।
7. ये पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 मे वेतन श्रृंखला ..... मे पे बैण्ड ..... मे दिनांक ..... से वेतन प्राप्त कर रहे है। (प्रति संलग्न करें)
8. इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर जन्मतिथि ..... है।
9. 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) नियम 7 (30 A)ने यदि 90 दिन से अधिक की E.O.L. ली है तो E.O.L. की अवधि दिनांक ..... से ..... तक है।)
10. कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समान वेतन श्रृंखला मे अन्य सरकारी विभाग मे की गई सेवा (यदि कोई हो) का विवरण मय सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति के (स्पष्टीकरण दिनांक 31.12.2009 II (iii) ।
11. इन्हें प्रथम चयनित वेतनमान निदेशालय के आदेश संख्या ..... द्वारा दिनांक ..... से स्वीकृत एवं द्वितीय चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. निदेशालय के आदेश संख्या ..... द्वारा दिनांक ..... से स्वीकृत की जा चुकी है।(आदेश प्रति संलग्न करें।)

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर